



Neutral Citation No. 2026:AHC:19123

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट बी संख्या- 62 / 2026

रुखसाना बेगम

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता

:

आशीष बाजपेयी रत्नेश श्रीवास्तव सुरेंद्र तिवारी

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता

:

अरुण कुमार पांडे मुख्य स्थाई अधिवक्ता

न्याया कक्ष संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेंद्र तिवारी राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री पंकज कुमार और प्रत्यर्थी सं. 4-गाँव सभा की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अरुण कुमार पांडे को सुना गया।

2. यह याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:

"i. उत्प्रेषण की प्रकृति का एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसके द्वारा इलाहाबाद स्थित राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के सदस्य (न्यायिक) द्वारा पुनरीक्षण सं. 3990/2025 (सऊद अली खान बनाम श्रीमती रुखसाना बेगम और अन्य) में दिनांक 08.10.2025 को पारित विवादित आदेश को रद्द किया जाए (संलग्नक सं. 9)।"

ii. परमादेश की प्रकृति का एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसमें इलाहाबाद स्थित उ० प्र० राजस्व परिषद को यह आदेश और निर्देश दिया जाए कि वह पुनरीक्षण संख्या 3990/2025 (सऊद अली खान बनाम श्रीमती रुखसाना बेगम और अन्य) का निर्णय इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित किसी निश्चित समयावधि के भीतर करे।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 229बी के तहत दायर मुकदमा बिना कोई मुद्दा तय किए और याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही पारित कर दिया गया था जबकि याचिकाकर्ता को इस मुकदमे में प्रत्यर्थी के तौर पर शामिल किया गया था। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 229बी के तहत किसी भी मुकदमे का फैसला डिक्री तब तक नहीं सुनाया जा सकता जब तक कि उसमें मुद्दे तय न कर लिए जाएं और संबंधित पक्षों को कानून के अनुसार अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर न दिया जाए। उन्होंने आगे बताया कि 13.1.1981 की डिक्री के विरुद्ध

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई बहाली की अर्जी को आयुक्त मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद ने स्वीकार कर लिया है इसके तहत 13.1.1981 की एकपक्षीय डिक्री को रद्द कर दिया गया और मामले को वापस निचली अदालत विचारण न्यायालय में भेज दिया गया ताकि याचिकाकर्ता को अपना लिखित बयान दाखिल करने और कानून के अनुसार साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देने के बाद मुकदमे का नए सिरे से फैसला किया जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि आयुक्त द्वारा 13.8.2025 को पारित वापसी आदेश को प्रत्यर्थी संख्या 3 ने राजस्व परिषद के समक्ष पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से चुनौती दी है और यह मुकदमा अभी भी लंबित है। उन्होंने बताया कि 8.10.2025 के आदेश के द्वारा राजस्व परिषद ने इस पुनरीक्षण याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है और एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए संबंधित पक्षों को विवादित भूखंड के संबंध में किसी भी तीसरे पक्ष के हित का निर्माण करने से रोक दिया है। उन्होंने दलील दी कि पुनरीक्षण याचिका के लंबित रहने के दौरान राजस्व परिषद द्वारा 8.10.2025 को पारित किया गया यह विवादित अंतरिम आदेश रद्द किया जाना चाहिए और राजस्व परिषद को यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि वह इस पुनरीक्षण याचिका का फैसला कानून के अनुसार एक निर्धारित समय सीमा के भीतर करे।

4. मैंने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत की गई दलीलों पर विचार किया है और मामले के अभिलेखों का अवलोकन किया है।

5. इस तथ्य को लेकर कोई विवाद नहीं है कि वर्ष 2025 की पुनरीक्षण याचिका संख्या 3990 प्रत्यर्थी संख्या 2—राजस्व परिषद उ० प्र० इलाहाबाद के समक्ष अभी भी लंबित है अतः राजस्व परिषद को इस लंबित पुनरीक्षण याचिका का फैसला शीघ्रतापूर्वक करना चाहिए। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि राजस्व परिषद के समक्ष दायर पुनरीक्षण याचिका में जिस आदेश को चुनौती दी गई है उस आदेश के माध्यम से ही मामले को वापस निचली अदालत में भेजा गया है ताकि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 229बी के तहत दायर मुकदमे का फैसला कानून के अनुसार किया जा सके।

6. मामले के समस्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए इस याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 राजस्व परिषद उ० प्र० इलाहाबाद संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् पुनरीक्षण संख्या 3990/2025 का निर्णय शीघ्रतापूर्वक करे और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर यह कार्य संपन्न करे।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

27 जनवरी 2026

पीएस*